घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के

न्यायसंगत भविष्य की कार्यसूची

actionaid
ActionAid Association (India)

actionaid
ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org @actionaidindia
actionaidcomms @company/actionaidindia actionaid_india

Actionaid Association, F-5 (First Floor), Kailash Colony, New Delhi -110048.
+911-11-40640500

एक्शनएड एसोसिएशन एक भारतीय संगठन है जो 24 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के क्षेत्र में काम कर रहा है। समर्थकों, सहयोगी संगठनों, समुदायों, संस्थानों और सरकारों के साथ मिलकर, हम सभी के लिए समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं।

घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के न्यायसंगत भविष्य की कार्यसूची

actionaid

ActionAid Association (India)

घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के
न्यायसंगत भविष्य की कार्यसूची

April, 2024

Some rights reserved

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License. Provided they acknowledge the source, users of this content are al- lowed to remix, tweak, build upon and share for non-commercial purposes under the same original license terms.

actionaid
ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org @actionaidindia
actionaidcomms @company/actionaidindia actionaid_india

Actionaid Association, F-5 (First Floor), Kailash Colony, New Delhi -110048.

+911-11-40640500

विषय सूची

भूमिका 01

घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की वर्तमान स्थिति 02

घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के न्यायसंगत भविष्य के लिए कार्यसूची 05

1. घुमंतू और विमुक्त जनजातीय समुदायों में, ख़ासकर हाशियों पर जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए त्वरित विकास हस्तक्षेपः 06

पारधी 07

वासुदेव समुदाय 07

म्हसणजोगी 08

मदारी 08

बूम बूम मट्टुकरन 08

समुदाय–आधारित यौन कार्य में संलग्न जनजातियाँ 09

2. विधायी कार्रवाइयाँ

नए क़ानूनों की आवश्यकता 09

मौजूदा अधिनियमों की तत्काल समीक्षा, संशोधन और निरसन 09

3. घुमंतू और विमुक्त जनजाति समुदायों की वैधानिक गणना 11

4. चालू कार्यक्रमों एवं योजनाओं में घुमंतू और विमुक्त जनजाति समुदायों को मुख्यधारा में सम्मिलित करना 11

5. विमुक्त और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण 16

6. घुमंतू और विमुक्त जनजाति समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु एक संस्थागत ढांचे का निर्माण 17

7. घुमंतू और विमुक्त जनजाति समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण और उत्थान 19

8. वन क्षेत्रों में घुमंतू और विमुक्त जनजाति समुदायों का संरक्षण और पुनर्वास 20

9. आश्रय और बुनियादी ढाँचा विकास कार्यक्रम 21

10. पुलिस संवेदीकरण और प्रशिक्षण 23

भूमिका

सन् 1871 में, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया, जिसमें उत्तर–पश्चिमी प्रांत, पंजाब और अवध के इलाक़े शामिल थे। एक संशोधन के ज़रिए पहले 1876 में बंगाल प्रेसीडेंसी; और, कुछ दशकों बाद 1924 में मद्रास प्रेसीडेंसी तक इस क़ानून की जद में आ चुके थे। इस कठोर कानून के अनुसारः "यदि स्थानीय सरकार के पास इस बात पर यक़ीन करने की पुख़्ता वजह हो कि कोई जनजाति, गिरोह या व्यक्तियों का समूह व्यवस्थित तरीक़े से गैर–जमानती अपराधों में लीन पाया जाता है तो वह काउंसिल में गवर्नर जनरल को मामले की रिपोर्ट, और ऐसी जनजाति, गिरोह या समूह को आपराधिक जनजाति घोषित करने की सिफ़ारिश कर सकती है।" गवर्नर जनरल द्वारा स्थानीय सरकार की सिफ़ारिश को मान लेने पर इस सूचना को स्थानीय राजपत्र में प्रकाशित; तथा, जिला मजिस्ट्रेट को उस जिले में रहने वाली आपराधिक जनजाति के सदस्यों का एक रजिस्टर बनाना होता था। यदि आपराधिक जनजाति के पास कोई "निश्चित निवास स्थान" नहीं होता था तो कानून में यह भी प्रावधान था कि उन्हें एक निश्चित स्थान पर बसने के लिए मजबूर किया जाए।

इस दौरान लगभग 200 घुमंतू समुदायों को "आपराधिक जनजातियों" के रूप में अधिसूचित किया गया था। विद्वानों ने इस तरह घोशित "आपराधिक जनजातियों" को छः मुख्य श्रेणियों को चिन्हित किया है। इनमें शामिल हैं: (1) जानवरों पर माल ढोने, गाँवों में नमक और वन उपज जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले छोटे व्यापारी; (2) प्रदर्शन कला और मनोरंजन करने वाले लोग (संगीतकार, नर्तक, गायक, कहानीकार, कलाबाज़, जिमनास्ट, कठपुतली तथा रस्सी पर चलने वाले कलाकार; (3) भालू, बंदर, सांप और पक्षियों जैसे प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक मनोरंजन के व्यवसाय में लगे समुदाय; (4) देहाती और वन समुदाय, जिनमें शिकार, संग्रहण, स्थानांतरित खेती और पशुचारण, वन उत्पाद, पशु, मांस, या डेयरी उत्पाद करने वाले; (5) बांस, लोहे या मिट्टी के कारीगर, विभिन्न वस्तुओं को निर्मित और मरम्मत करने और बसे हुए ग्रामीणों के साथ उनका व्यापार करने में प्रवीण लोग; तथा, (6) भिक्षुक और उपचारक, जैसे साधु, फकीर, ज्योतिश, वंशावली विशेषज्ञ और पारंपरिक चिकित्सक, जिनमें औशधीय जड़ी–बूटियाँ बेचने वाले लोग भी शामिल हैं। इन घुमंतू समुदायों ने बसावट वाले समुदायों के साथ लंबे समय से संबंध स्थापित किए थे, जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है। इस तरह हम पाते हैं कि लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती थीं, जिनका भुगतान धन या वस्तु के रूप में और दान के ज़रिए किया जाता था।

आपराधिक जनजाति अधिनियम ने स्थायी निवासियों और घुमंतू समुदायों के बीच पारंपरिक संबंधों में दरार पैदा करने के लिए इन कठोर प्रावधानों का विस्तार किया: "गाँव के प्रत्येक ग्राम–प्रधान, ग्राम–चौकीदार, प्रत्येक भू–मालिक का यह कर्तव्य होगा, कि ऐसे गाँव या भूमि पर किसी भी ऐसे व्यक्ति के आने की, जिस पर ऐसी किसी जनजाति, गिरोह या वर्ग से संबंधित होने का उचित संदेह हो, निकटतम पुलिस स्टेशन में, अपनी शक्ति के अनुसार, जल्द से जल्द सूचना दे।"

अंग्रेज़ों सहित यूरोप के प्रबुद्ध वर्गों में रोमानी या जिप्सियों के प्रति विद्यमान नकारात्मक और घृणा भावनाएँ, इस अधिनियम के पारित किए जाने का प्रमुख कारण थीं। हालाँकि, आपराधिक जनजाति अधिनियम को औपनिवेशिक संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने उपनिवेशित लोगों पर वर्चस्व क़ायम करने की मंशा से इस कानून का इस्तेमाल किया था। इस मायने में, आपराधिक जनजाति अधिनियम भारत में ग्रामीण समाज को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों का हिस्सा था, ताकि उसे अधिक निश्क्रिय, परतों में विभाजित, और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर समाज बनाया जा सके।

आपराधिक जनजाति अधिनियम के अन्यायपूर्ण और औपनिवेशिक निहितार्थों को चिन्हित करते हुए, भारत सरकार द्वारा अगस्त 1949 में इसे निरस्त कर दिया गया। दिनांक 31 अगस्त 1952 को आपराधिक जनजाति अधिनियम द्वारा चिन्हित "आपराधिक जनजातियों" को भी गैर–अधिसूचित कर दिया गया। इन समुदायों ने वर्शों से खुद को 'डि–नोटिफाइड ट्राइब्स' या DNT और अधिक व्यापक शब्दावली घुमंतू जनजातियों और डी–नोटिफाइड ट्राइब्स या NTDNT के रूप में संदर्भित किया है। इस समझ का आधार यह है कि दोनों क़िस्म के समुदायों (उन घुमंतू जनजातियों, जिन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अपराधी के रूप में अधिसूचित नहीं भी किया गया था) द्वारा झेली जाने वाली असुरक्षाएँ लगभग एक समान थीं।

तभी से 31 अगस्त के दिन "विमुक्ति दिवस" के रूप में मनाया जाता है। हालाँकि, मात्र आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त और "आपराधिक जनजातियों" को विमुक्त किया जाना, घुमंतू एवं विमुक्त समुदायों द्वारा झेले जाने वाले भेदभावों और असुरक्षाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ। उन्हें आज भी समाज और सरकारी तंत्र के हाथों भेदभाव, असुरक्षा तथा उत्पीड़न सहना पड़ता है। साथ ही, आधुनिकीकरण, बाजार–संचालित अर्थव्यवस्था तथा स्पष्टतः परिभाषित व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों पर आधारित समय में, सार्वजनिक भूमि के सिकुड़ने और परंपरागत अधिकारों के लुप्त होने से सामाजिक–आर्थिक अनिश्चितताएँ बढ़ रही हैं; तथा, उनके आजीविका कमाने के उपलब्ध साधनों में लगातार कमी आ रही है।

घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की वर्तमान स्थिति

भारत में घुमंतू और विमुक्त जनजातियों (NTDNT) को अभी भी ऐतिहासिक भेदभाव,

सामाजिक–आर्थिक कारकों और अपर्याप्त सरकारी नीतियों के संयोजन के कारण सामाजिक और आर्थिक हाशिए का सामना करना पड़ रहा है।

यद्यपि आपराधिक जनजाति अधिनियम तथा उनके "आपराधिक जनजाति" तमग़े को निरस्त कर दिया गया था, फिर भी आपराधिक न्याय प्रणाली चलाने वालों की मानसिकता एवं रवैये तथा पुलिस और 'जेल मैनुअल' में उनके माथे पर लगा कलंक बना रहा। इसके अलावा, नए कानून, जैसे वन अधिनियम और जानवरों की रक्षा करने वाले कानून, अक्सर उन्हें और उनके व्यवसायों को "अपराधी" बनाए रखे हुए हैं।

कानून के इस घृणापूर्ण रवैए में उस तरीके को भी जोड़ने की जरूरत है, जिसमें NTDNT समुदाय कानून और नीति निर्माताओं के लिए "अदृश्य" बने रहे। NTDNT द्वारा अनुभूत मान्यता और प्रतिनिधित्व की कमी उनकी निरंतर आर्थिक हाशिये पर स्थिति का एक प्रमुख कारण है, खासकर, जब आर्थिक विकास ने उनकी अनिश्चित आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

NTDNT समुदायों की "अदृश्यता" का एक निश्चित संकेतक यह है कि उनकी अच्छी–ख़ासी संख्या के बावजूद, भारत में उनके समुदायों की कोई व्यापक जनगणना नहीं की गई है। NTDNT समुदाय पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ राज्यों में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में रखा गया है, जबकि अन्य राज्यों में उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कुछ ऐसे समुदाय भी हैं, जो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते। इन श्रेणियों का विखंडन, जाति प्रमाण–पत्र की कमी या निरस्त कोटा जैसी चुनौतियों के साथ, उनके लिए इच्छित लाभों तक उनकी पहुँच को गंभीर रूप से सीमित कर देता है। नतीजतन, NTDNT भारत में सबसे अधिक वंचित और गरीब समूहों में से एक है। कई राज्यों में तो उनकी स्थिति अभी भी अपरिभाषित ही है, जिससे उनका बहिष्कार और भेद्यता बढ़ी है।

अक्टूबर 2003 में, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा पहली बार एक आयोग की स्थापना की गई। हालाँकि, कुछ सीमाओं के चलते, आयोग को अपने आदेश को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए बालकृष्ण रेनके की अध्यक्षता में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन मार्च 2005 में किया गया था। जुलाई 2008 में, रेनके आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई सिफारिशें शामिल थीं। इन सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा स्थापित एक कार्य समूह ने 2011 में इन समुदायों के लिए विस्तृत सिफारिशें प्रस्तावित कीं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और रेनके आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनज़र सरकार ने फरवरी 2014 में तीन वर्ष की अवधि के लिए विमुक्त, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया।

रेनके आयोग ने विमुक्त जनजातियों की स्थिति को समझने के लिए एक अध्ययन किया और बताया कि 50 प्रतिशत NTDNT समुदाय के लोगों के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का अभाव था और 98 प्रतिशत भूमिहीन थे। (रेनके आयोग, 2008)

सन् 2017 में अध्यक्ष भीकू रामजी इडेट के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें विमुक्त जनजातियों के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों पर गहराई से रोशनी डाली गई। आयोग द्वारा प्राप्त याचिकाओं और ज्ञापनों के माध्यम से व्यक्त की गई शिकायतें, इन समुदायों के समक्ष चुनौतियों पर रिपोर्ट के लिए जानकारी के प्राथमिक स्रोतों में से एक थीं। आयोग ने इन शिकायतों को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया और तदनुसार उचित कार्रवाई की। विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए बड़ी संख्या में 3,200 से अधिक याचिकाएँ और ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। इनमें संवैधानिक मान्यता, समुदायों के लिए एक अलग अनुसूची का निर्माण, SC/ST सूची में शामिल करने और शिक्षा, आवास और अन्य आवश्यक सेवाओं के प्रावधान की अपीलें शामिल थीं।

इडेट आयोग (The Idate Commission) को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ–साथ व्यक्तियों और संगठनों से प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन के माध्यम से इन समुदायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में पता चला। कुल प्राप्त 3,700 से अधिक याचिकाओं और ज्ञापनों में से, सबसे अधिक 618 याचिकाएँ बुनियादी ढाँचे और स्वच्छता से संबंधित थीं। इन याचिकाओं में सड़क, जल निकासी व्यवस्था, शौचालय, सामुदायिक केंद्र और श्मशान घाट जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। याचिकाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, लगभग 568, आवास सुविधाओं और आवास या कृषि के लिए भूमि आवंटन पर केंद्रित थी।

शिक्षा में अलग आरक्षण और SC और ST श्रेणियों के समान, विमुक्त और खानाबदोश समुदायों के लिए एक अलग अनुसूची बनाने की वकालत करते हुए लगभग 551 याचिकाएँ प्राप्त हुईं। अन्य याचिकाओं में आधार कार्ड, राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसे पहचान दस्तावेजों की कमी के साथ–साथ SC/ST/OBC या NTDNT श्रेणियों में शामिल करने के अनुरोधों से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया गया था। अतिरिक्त महत्वपूर्ण शिकायतों में नज़दीकी स्कूलों की कमी, विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं और अलग छात्रावास सुविधाओं के लिए अनुरोध, और दस्तावेजों और पहचान प्रमाणों के अभाव के कारण इन समुदायों को ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयाँ शामिल थीं। कारीगर और कलाबाज समुदायों ने भी अपनी पारंपरिक आजीविका को बरकरार रखने के लिए सरकार से विशेष सहायता मांगी।

घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के न्यायसंगत भविष्य के लिए कार्यसूची

प्रस्तुत दस्तावेज़ विगत कुछ दशकों से चालू कई प्रक्रियाओं का नतीजा है, जिसे पिछले कुछ महीनों में पुनः परखा गया है। दो दशकों से भी अधिक समय से, एक्शनएड एसोसिएशन NTDNT समुदायों के साथ उनके अधिकारों एवं हक़दारी को आगे ले जाने के लिए कार्यरत है। इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुँचाने की दिशा में एक्शनएड एसोसिएशन ने, जमीनी तथा विभिन्न स्तरों पर बहुत से समुदाय–आधारित संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर, नीति निर्धारण में मदद के लिए गठबंधन बनाए हैं। एक्शनएड एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकारों द्वारा नियुक्त निकायों की कई रिपोर्टों और नीतिगत सिफारिशों में अपना योगदान दिया है। व्यापक प्रतिनिधित्व और समावेशिता सुनिश्चित करने की मंशा से, पिछले कुछ महीनों में विमुक्त और घुमंतू जनजाति समुदायों के साथ कई राज्यों में जमीनी परामर्श आयोजित किए गए। राज्य स्तर पर, राजस्थान में आठ जिलों के DNT अगुआओं/मुखियाओं के साथ परामर्श सत्र आयोजित हुए। इन आयोजनों से समुदाय के मार्गदर्शकों से सीधे जुड़ाव और सुझावों को प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण DNT सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने सामूहिक चर्चा और सहयोग को मंच प्रदान करने का काम किया। विभिन्न राज्यों में, अलग–अलग विमुक्त और घुमंतू जनजातियों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने इसमें अपने मन की बात रखी:

उत्तर प्रदेश में, कुल 1,044 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सभी नट, भातू, धरिकार, रंगधरवा और जग्गा समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। राजस्थान में, गाड़िया लोहार, कालबेलिया, बंजारा, नट, भट्ट, सिंगीवाल, सिखलीगर, कलंदर, मिरासी, सांसी और बागरी / बावरिया समुदायों से 3,900 प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। बिहार में, नट, कंजर, सपेरा, मदारी और चिड़ीमार समुदायों से 250 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। गुजरात में, सांधी, छारा, देवी पूजक, चुवालिया कोली, मियाना और कोली (रापर) समुदायों से 5,370 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यानादी, कोटि और कोल्लम समुदायों से 4,000 प्रतिनिधि उपस्थित थे। महाराष्ट्र में, पारधी, कैकाडी, वाडर, कोल्हाटी, मदारी, वैदु, तिरुमाली, डाबरी, गोसावी, बंजारा और म्हसणजोगी समुदायों के 50,000 व्यक्तियों की सबसे बड़ी भागीदारी रही। हरियाणा में, बंजारा, सपेरा, बाजीगर, नट, कलंदर और सांसी समुदायों के 5,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर, लगभग 70,000 समुदाय प्रतिनिधि इस परामर्श का हिस्सा थे।

इस प्रकार, एक्शनएड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ एक सामूहिक सुनवाई का प्रतिफल है, जिसमें राज्य और समुदाय स्तरों पर व्यापक परामर्श शामिल किए गए हैं। यह दस्तावेज विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की विविध आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को दर्शाते हुए एक व्यापक एजेंडा प्रस्तुत करता है।

1. घुमंतू जनजातियों और विमुक्त जनजातीय समुदायों में, ख़ासकर हाशियों पर जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए त्वरित विकास हस्तक्षेप

जबकि भारत में सभी NTDNT समुदाय भेद्यता का सामना करते हैं, इस बात की पहचान किया जाना ज़रूरी है कि इस श्रेणी के विभिन्न समूहों के बीच कमजोरियों की सीमा और प्रकृति काफी भिन्न हो सकती है। भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक प्रथाएँ और संसाधनों तक पहुँच जैसे कारक NTDNT समुदायों के बीच भेद्यता में असमानताओं में योगदान देते हैं। कुछ NTDNT समुदायों को गंभीर आर्थिक अभाव, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी और भेदभाव एवं कलंक के कारण सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। ये समुदाय अक्सर गरीबी, बेरोजगारी और हाशिए पर रहने के लिए अभिशप्त हैं, जिस कारण वे शोषण और उपेक्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

हालाँकि, NTDNT समुदायों की व्यापक श्रेणी के भीतर, लचीलेपन, संगठन के स्तर और समर्थन नेटवर्क तक पहुँच में भी भिन्नताएँ हैं। कुछ समुदायों में मजबूत सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक पूंजी या ऐतिहासिक लचीलेपन वाली रणनीतियाँ हो सकती हैं, जो कुछ हद तक उनकी भेद्यता को कम करती हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वकालत के प्रयासों और विकास प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय असमानताओं जैसे कारकों के आधार पर, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों से कुछ NTDNT समुदायों को दूसरों की तुलना में असमान रूप से लाभ हो सकता है।

इसलिए, जबकि NTDNT समुदाय ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक–आर्थिक हाशिए संबंधी एक समान चुनौतियों को साझा करते हैं, समावेशी और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए इस विविध श्रेणी के भीतर प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और कमजोरियों की पहचान और उन्हें संबोधित करना आवश्यक है।

भारत सरकार किसी जनजाति के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) होने का निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी के पूर्व–कृषि स्तर, साक्षरता के निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ेपन और घटती या स्थिर जनसंख्या को मानदंड के रूप में देखती है। निम्नलिखित कुछ उदाहरण,

विशेषकर, NTDNT समूहों द्वारा झेली जाने वाली विविध चुनौतियों के संकेत हैं तथा उनकी विशिष्ट कमजोरियों को दूर करने के लिए लक्षित और तत्काल नीति और विकास हस्तक्षेप की आवश्यकता और NTDNT समुदायों के बीच, ख़ासतौर पर, कमजोर लोगों के लिए एक विशेष श्रेणी बनाने की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

पारधी

पारधी समुदाय या कबीले सदियों से शिकारी और संग्रहकर्ता रहे हैं। कबीर के भजन में "पारधी" का प्रयोग एक शिकारी के लिए किया गया है। यह समुदाय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संकेंद्रित रहते हुए, पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात, पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा तक फैला हुआ है। पारधियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत "आपराधिक जनजाति" घोषित किया गया था। उन्हें जंगल से विस्थापित कर पृथक कर दिया गया और गाँव एवं शहर की सीमा के बाहर शिविरों में रहने के लिए विवश किया गया। समुदाय को आज भी अत्यधिक गुर्बत, विस्थापन और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आपराधिक जनजाति अधिनियम के निरस्त होने के बावजूद, चिरकालीन पूर्वाग्रह के चलते यह समुदाय प्रबल जातियों के हाथों निरंतर भेदभावपूर्ण बर्ताव झेलने और हाशिए पर जीवन जीने को विवश है। मुख्यधारा की गतिविधियों से सामाजिक बहिश्कार और हिंसा, उत्पीड़न और जबरन बेदखली की घटनाएँ आम हैं। पारधियों को अक्सर सार्वजनिक स्थानों, संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच से वंचित किया जाता है। इस प्रकार का सर्वांगी भेदभाव उनकी सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा देता है, जिससे उनकी गुर्बत और हाशिए पर रहने का चक्र और गहरा हो जाता है। इसके अलावा, पारधी समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से पुलिस की निर्ममता को बर्दाश्त किया है। उन्हें अक्सर समाज में घटने वाले अपराधों के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है। उनकी गलत तरीके से गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। उनके साथ हिरासत में क्रूर व्यवहार किया जाता है। पुलिस द्वारा हमले, यातना और यौन षोशण के आरोपों ने समुदाय के भीतर भय और अविश्वास को और अधिक प्रबल किया है, जिससे उन्हें न्याय पाने और उनके सामाजिक एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

वासुदेव समुदाय

वासुदेव समुदाय के गायक महाराष्ट्र के गाँवों में घर–घर जाकर कृष्ण भक्ति के गीत गाते हैं और बदले में इनाम प्राप्त करते हैं। वासुदेव समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत और आजीविका के क्षरण से जूझ रहा है। कृष्ण उपासकों के रूप में, वे पारंपरिक रूप से एक गाँव से दूसरे गाँव की यात्रा करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और विशिष्ट पोशाक पहनकर अनुष्ठान करते हैं। हालाँकि, उनकी कला की लोकप्रियता घट रही है। यह समुदाय आर्थिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस समुदाय के कई युवा अपने पैतृक पेशे को छोड़कर वैकल्पिक रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। वासुदेव समुदाय की घुमंतू जीवनशैली अतिरिक्त चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। वे अक्सर गाँवों के बाहरी इलाके में रहते हैं,

उनके पास स्थायी घरों, बुनियादी सुविधाओं और नागरिकता के प्रमाण का अभाव है। इस हाशिएकरण ने उन्हें सामाजिक–आर्थिक कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

म्हसणजोगी

म्हसणजोगी समुदाय पारंपरिक रूप से अंतिम संस्कार के कर्मकांड से जुड़ा है और श्मशान घाट पर ही रहता है। परंपरागत रूप से वे श्मशान के देवता 'मसान' के उपासक हैं। वे अंधविश्वास में गहरे डूबे हुए हैं और उन्हें मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाला माना जाता है। वे ऐतिहासिक रूप से भिक्षा पर निर्भर रहे हैं। उन्हें राशन योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। उनकी बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी आबादी में काफी गिरावट आई है। उनमें से कई अब कचरा बीनने का काम करते हैं। उनकी घुमंतू जीवनशैली के कारण उन्हें राशन कार्ड जैसे आवश्यक पहचान दस्तावेज प्राप्त करना मुश्किल हो गया है, जिससे उनका संघर्ष और बढ़ा है। दस्तावेज़ीकरण की इस कमी ने सरकारी योजनाओं और लाभों तक उनकी पहुँच में बाधा उत्पन्न की है, जिससे वे गरीबी और समाज के हाशिये पर चले गए हैं।

मदारी

मदारी समुदाय, जो उत्तर भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में बड़ी संख्या में रहते हैं, को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना उन्हें मनोरंजन कर्ताओं के रूप में अपने ऐतिहासिक व्यवसाय और अपनी वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति के चलते करना पड़ता है। उन्हें परंपरागत रूप से सांपों को पकड़ने और जानवरों के साथ क्रीड़ा प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। जानवरों के अधिकारों के बढ़ने और बदलते सामाजिक मानदंडों ने कई मदारियों को वैकल्पिक रोजगार की तलाश करने के लिए विवश कर दिया है। उन्हें आज खेत मज़दूरों और दिहाड़ी मजदूरों के रूप में देखा जा सकता है। यह समुदाय उच्च निरक्षरता दर से जूझ रहा है। यह स्थिति उन्हें समाज के निचले पायदान पर बनाए रखती है। उनमें गरीबी सर्वव्यापी है। उनमें कई परिवार भूमिहीन हैं और कुछ लोग अपने भरण–पोशण के लिए भीख तक मांगते पाए जाते हैं। स्थायी आवास की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अधिकांश लोग अस्थायी आश्रयों या टेंटों में रहते हैं। मदारिस इस्लाम की एक रहस्यमय शाखा, सूफीवाद का अभ्यास करते हैं, जो उनकी अनूठी सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियों में योगदान दे सकता है। कुल मिलाकर, मदारी समुदाय का पारंपरिक मनोरंजन से आजीविका के अन्य रूपों में संक्रमण – व्याप्त अशिक्षा, गरीबी और आवास की कमी – लक्षित सामाजिक और आर्थिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

बूम बूम मट्टुकरन

बूम बूम मट्टुकरन, जिसे अदियान या पू इदयार के नाम से भी जाना जाता है, एक घुमंतू आदिवासी समुदाय है, जो मुख्य रूप से भारत में तमिलनाडु और केरल राज्यों में आबाद है। ऐतिहासिक रूप से 'बूम बूम ऑक्स' नाम से प्रसिद्ध, वे एक सुसज्जित बैल के साथ यात्रा

करके, अपने सजे–धजे मवेशियों से जुड़े मनोरंजन और भाग्य बताने वाली गतिविधियों में संलग्न होकर खुद का भरण पोषण किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि उनकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। वे तमिल और तेलुगु भाषाओं की मिश्रित बोली में संवाद करते हैं। हालाँकि, आज उनकी पारंपरिक जीवन शैली अस्थिर हो चुकी है। उन्हें जीवित रहने के लिए भीख मांगने और श्रम पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उन्हें बसाने और शिक्षित करने के काम के लिए निजी और सरकारी पहलें शुरू की गई हैं। इन पहलों का लक्ष्य बसे हुए समाज में उनके एकीकरण को सहज बनाना है।

समुदाय–आधारित यौन कार्य में संलग्न जनजातियाँ

कुछ जनजातियों में सेक्स–वर्क एक परिभाषित व्यवसाय के रूप में उभरा है। इनमें उत्तर भारत की नट, बेदिया और बचरा जनजातियाँ शामिल हैं। इन समुदायों में कई महिलाएँ यौनकर्मी के रूप में अपना जीवन–यापन करती हैं। समुदाय के कई लोगों का कहना है कि महिलाएँ सेक्स–वर्क में अपनी पसंद से जाती हैं। हालाँकि, इसमें विवषता के पहलू से इंकार नहीं किया जा सकता। कुछ समुदायों में "नथ उताराई" या "नाक की नथ उतारने" की प्रथा मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक महिला को यौन कार्य में शामिल करने की शुरुआत है। यह अनुष्ठान आमूमन 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, जो यौन कार्य में नाबालिगों की मौजूदगी की तरफ़ भी इशारा करता है। समाजविदों का तर्क है कि ये समुदाय प्रमुख रूप से मनोरंजन कर्ता थे। वे बतौर नर्तक, कलाबाज़, बाजीगर और जादूगर के रूप में कई प्रदर्शन कलाओं में शामिल थे। उनके समूह और गतिविधि के अपराधीकरण के साथ, यौन कार्य ही एकमात्र व्यवहार्य आजीविका विकल्प रह गया है। ये कमजोरियाँ आज भी बरकरार हैं।

2. विधायी कार्रवाइयाँ

नए कानून की आवश्यकता

2.1 गैर–अधिसूचित समुदायों की मान्यताः 'अधिसूचित समुदायों' को स्पष्ट मान्यता प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यकों पर 1992 के क़ानून के आधार पर एक नए कानून का मसौदा तैयार और पेश करना महत्वपूर्ण है।

2.2 सुरक्षा के लिए विधानः NTDNT समुदाय के खिलाफ होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों और अत्याचारों को संबोधित करने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के समान दायरे और इरादे के साथ एक नया कानून बनाया जाना चाहिए।

मौजूदा अधिनियमों की तत्काल समीक्षा, संशोधन और निरसन

2.3 आदतन अपराधी अधिनियम का उन्मूलनः आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 को समाप्त करने की आवश्यकता है और पुलिस अत्याचारों से NTDNT समुदायों की सुरक्षा और

गैर–अपराधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जबकि स्वतंत्रता के बाद CTA को निरस्त कर दिया गया था, कई राज्यों ने राज्य विधानमंडल के ज़रिए वर्ष 1959 में आदतन अपराधी अधिनियम (HOA) पेश किया, जिसने अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक काल के अवशेश CTA को आगे बढ़ाने का काम किया। HOA घुमंतू और अर्ध–घुमंतू समुदायों से जुड़े कलंक को सुदृढ़ बनाता है। HOA वर्तमान में दस भारतीय राज्यों में लागू है – हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश आदतन अपराधी अधिनियम (1969); कर्नाटक में, कर्नाटक आदतन अपराधी अधिनियम, (1961); आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश आदतन अपराधी अधिनियम (1962); गुजरात में, आदतन अपराधी अधिनियम (1959); महाराष्ट्र में, बॉम्बे आदतन अपराधी अधिनियम (1959); केरल में, केरल आदतन अपराधी अधिनियम (1960); पंजाब में, आदतन अपराधी प्रतिबंध अधिनियम (1918) तथा पंजाब आदतन अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम (1952); राजस्थान में, आदतन अपराधी अधिनियम (1953); तथा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु आदतन अपराधी प्रतिबंध अधिनियम, (1948) के माध्यम से।

2.4 "भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959" की समीक्षा और संशोधनः भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि NTDNT समुदायों के साथ भेदभाव न किया जा रहा हो और उनको हाशियों पर न धकेल जा रहा हो, NTDNT की विशिष्ट श्रेणियों के अपराधीकरण से संबंधित परिभाषाओं की पुनः जाँच आवश्यक है।

2.5 "बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959" की समीक्षा और संशोधनः सड़क पर कला प्रदर्शन करने वाले घुमंतू समुदायों के अन्यायपूर्ण लक्ष्यीकरण को संबोधित करने और उनके अधिकारों और आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में इस अधिनियम और इसी तरह के कानूनों की तत्काल पुनः जाँच आवश्यक है।

2.6 "पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1986" की समीक्षा और संशोधनः NTDNT समुदायों को जानवरों के साथ सड़क मनोरंजन में शामिल होने से रोकने वाले प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि इन समुदायों को जानवरों के नैतिक उपचार को सुनिश्चित करते हुए अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति मिल सके। समुदाय में पहले से मौजूद वैकल्पिक कौशल और उद्यमशीलता के निर्माण के लिए अधिनियम के तहत प्रावधान पेश किए जाने चाहिए।

2.7 "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972" और "वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980" की समीक्षा और संशोधनः इन अधिनियमों में वन और NTDNT समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रावधानों की फिर से जाँच करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन समुदायों द्वारा अपनी भूमि संसाधनों के निरंतर उपयोग और उपयोग के अधिकारों पर अन्यायपूर्ण बाधा न डाल रहे हों। घुमंतू और जंगल में रहने वाले NTDNT समुदायों को मवेशियों, भेड़ों, भैंसों, ऊंटों और अन्य जानवरों को चराने, लघु वन उपज की कटाई करने

और जंगलों में रहने के लिए जंगल तक पहुँचने की अनुमति देने के प्रावधान किए जाने चाहिए। ऐसा, विशेषकर, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में किया जाना चाहिए। NTDNT पारंपरिक रूप से वन और वन्य जीवन के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं।

2.8 उत्पाद शुल्क कानूनों की समीक्षा और संशोधनः इस भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं और आजीविका का सम्मान करने के लिए NTDNT समुदायों द्वारा पारंपरिक शराब बनाने और बेचने पर रोक लगाने वाले उत्पाद शुल्क कानूनों के प्रावधानों पर फिर से विचार करना आवश्यक है।

3. घुमंतू और विमुक्त समुदायों की वैधानिक गणना

एक विशेष जनगणना और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों की गणना की जानी चाहिए। NTDNT पर आगामी जनगणना, जाति जनगणना में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और विशिष्ट पहचान (UID) और अन्य सरकारी ID कार्ड जारी करने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। घुमंतू समुदायों के अस्तित्व से अनभिज्ञ राज्यों को समुदायों की पहचान को सक्षम करने के लिए विमुक्त और घुमंतू जनजातियों पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार की गई घुमंतू समुदायों की प्रोविज़नल सूचियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को सक्रिय रूप से जिले में NTDNT को जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने चाहिए। यदि NTDNT को SC, ST या OBC को मिलने वाले अधिकार प्राप्त करने हैं तो जाति प्रमाण पत्र एक अनिवार्य शर्त है। इस प्रक्रिया के दौरान भौगोलिक अलगाव के कारण देहाती, पूर्व शिकारी–संग्रहकर्ता और अन्य वन समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. चालू कार्यक्रमों एवं योजनाओं में घुमंतू और विमुक्त समुदायों को मुख्यधारा में सम्मिलित करना

विमुक्त जनजातियाँ (DNTs) और घुमंतू जनजातियाँ (NTs) ऐतिहासिक रूप से समाज के हाशिए पर रही हैं, तथा बुनियादी सेवाओं एवं अवसरों तक पहुँच बनाने में चुनौतियों का सामना करना जारी रखे हुए हैं। विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, ये समुदाय अक्सर मुख्यधारा के विकास कार्यक्रमों से बाहर ही रहते हैं। NTDNT की अनूठी जीवनशैली और उनकी क्षणिक प्रकृति उनके सामने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक स्थिरता में अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न करती है। इन समुदायों की लड़कियों और महिलाओं को लिंग–आधारित भेदभाव और शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है। औपचारिक पते और स्थायी बस्तियों की कमी के कारण मनरेगा और वित्तीय सेवाओं के तहत रोजगार के अवसरों सहित, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए, चालू कार्यक्रमों और योजनाओं में NTDNT को मुख्यधारा

में लाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं, जिससे शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं और आजीविका के अवसरों में उनका समावेश सुनिश्चित हो सके।

4.1 विशेष NTDNT उप–योजना: NTDNT समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य के बजटों में एक विशेष NTDNT उप–योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है। इस योजना के साथ धन के किसी भी विचलन या कम उपयोग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए और NTDNT समुदायों के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करने के लिए इसे विधायी शक्ति दी जानी चाहिए।

4.2 शिक्षा एवं बाल अधिकार:

4.2.1 आवासीय विद्यालयों के माध्यम से घुमंतू समुदाय एवं विमुक्त ज़नजातियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। NTDNT समुदाय के स्कूल जाने और स्कूल न जाने वाले बच्चों का आधारभूत डेटा तैयार किया जाए। शैक्षिक सुविधाओं तक पहुँच बनाने में समुदाय विशिष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए समुदाय–वार डेटा पृथक्करण अनिवार्य है। NCPCR और SSA को इसे मिशन मोड पर शुरू करना चाहिए। सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षा नामांकन, प्रतिधारण और प्राप्ति के लिए ब्लॉक/क्लस्टर स्तर की योजना बनाने की आवश्यकता होगी। स्कूलों और छात्रावासों में लड़कियों के नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। जहाँ भी NTDNT आबादी अधिक हो, वहाँ आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही, भारत के सभी प्रमुख शहरों में आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाने चाहिए, जहाँ वे उच्च अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार प्रशिक्षण, आदि के लिए रह सकें।

4.2.2 RTE के तहत बहुभाशी शिक्षण शुरू करने हेतु एक प्रशासनिक दिशानिर्देश जारी किया जाना चाहिए। NTDNT के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए और अंग्रेजी और राज्य भाषा भी सिखाई जानी चाहिए। NTDNT भाषाओं को जानने वाले शिक्षकों का एक समूह बनाने के लिए विशेष शिक्षकों को नियुक्त और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

4.2.3 मास्टर स्तर तक NT–DNT छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए, और डॉक्टरेट स्तर की पढ़ाई के लिए छात्राओं के मामले में छात्रवृत्ति राशि को UGC अनुसंधान फेलोशिप की तर्ज पर बढ़ाया जाना चाहिए।

4.2.4 जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में NT–DNT हैं, वहाँ उपचारात्मक/आवासीय ब्रिज कोर्स शिक्षा जैसे घटकों से युक्त विशेष योजनाएँ शुरू करके शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध रूप से विशेष उपाय किए जाने चाहिए – विशेष पुस्तकालय, खेल के मैदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, परामर्श आदि।

4.2.5 घुमंतू समुदाय के प्रवासी मार्गों पर क्रेच और ICDS केंद्रों तक पहुँच सुगम की जानी चाहिए। साथ ही बच्चों की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए, जहाँ भी आवश्यकता हो, विशेष आंगनबाड़ियाँ स्थापित की जानी चाहिए।

4.2.6 नट, डोंबरी आदि कलाबाजी समुदायों के बच्चों का स्कूल स्तर से चयन किया जाना चाहिए और उन्हें छात्रवृत्ति के साथ विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं और कलाबाजी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4.2.7 जो बच्चे पारंपरिक रूप से मनोरंजक समुदायों जैसे संगीतकार, थिएटर कलाकार, कठपुतली कलाकार, बाजीगर, जादूगर आदि से हैं, उनमें विशेष प्रतिभा होती है। उनकी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर एक राष्ट्रीय कला विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए ताकि ऐसे बच्चे अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। सरकार को ऐसे स्कूलों को शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

4.2.8 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को NTDNT बच्चों के लिए शिक्षा वितरण के लिए उपाय/रणनीतियाँ विकसित करने के लिए NTDNT बच्चों पर एक कार्य समूह गठित करने के लिए कहा जाना चाहिए।

4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए NTDNT समुदायों के लिए रियायती ऋण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए।

4.4 NTDNT समुदायों के लिए जागरूकता अभियान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को उनकी स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

4.5 स्वास्थ्य सेवाएँ:

4.5.1 सरकार को घुमंतू समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल डिस्पेंसरियों की शुरूआत सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे उनकी पहुँच सुनिश्चित के जा सके।

4.5.2 NT–DNT समुदायों की महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य, मातृत्व और बाल देखभाल के लिए ASHA कार्यकर्ताओं के रूप में चिन्हित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

4.5.3 गर्भवती माताओं और तीन साल तक के बच्चों वाले परिवारों को पोषण संबंधी खुराक के साथ PDS से राशन निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।

4.5.4 सभी NTDNT परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार के अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें केवल चुनाव कार्ड या राशन कार्ड दिखाने या स्थानीय संगठन/ग्राम पंचायत सदस्य / नगर पालिका सदस्य / सरकारी कर्मचारी की सिफारिश पर निजी अस्पतालों में निःशुल्क भर्ती किया जाना चाहिए। NT–DNT रोगियों और एक परिचारक को सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाया जा सकता है।

4.5.5 परिवारों और पशुओं को चिकित्सा बीमा योजना के तहत कवर किया जा सकता है। बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

4.5.6 पारंपरिक चिकित्सकों और पारंपरिक जन्म परिचारकों (दाईयों) को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

4.5.7 अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों के लिए NTDNT की स्थिति के बारे में सभी मेडिकल और पैरा–मेडिकल कॉलेजों में संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। निजी अस्पतालों सहित प्रत्येक अस्पताल में NTDNT रोगियों के लिए एक सुरक्षा कक्ष का गठन किया जाना चाहिए जहाँ NTDNT भेदभाव के खिलाफ शिकायत दर्ज़ की जा सके।

4.5.8 एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत बालवाड़ियों, आंगनबाड़ियों, क्रेच और सभी प्रावधानों की उपलब्धता सुनिश्चित करके NTDNT समुदायों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4.6 महिलाएँ एवं लड़कियाँ:

4.6.1 NTDNT महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण, संपत्ति निर्माण, भूमि वितरण आदि प्रदान करते समय उनका समावेश सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। NTDNT समुदायों में महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्रिय हैं और अक्सर पूरे परिवार के लिए एकमात्र कमाऊ सदस्य होती हैं।

4.6.2 NTDNT समुदायों की महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके।

4.6.3 NTDNT महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के भीतर / NTDNT आयोग में NTDNT महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेल बनाया जाना चाहिए।

4.6.4 NT–DNT महिलाओं के अधिकारों और हकदारियों की सुरक्षा के लिए उन पुलिस स्टेशनों में महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष सेल बनाया जाना चाहिए जहाँ NT–DNT की सघनता अधिक है। स्पेशल सेल राज्य और केंद्र स्तर पर गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय में काम कर सकता है।

4.6.5 NTDNT महिलाओं और यौन–कार्य में लगे परिवारों के लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।

4.6.6 राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग को NTDNT समुदाय से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी पर रोकथाम और तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास की दृष्टि से राज्य स्तरीय कार्य योजना विकसित करनी चाहिए।

4.7 रोजगार एवं आजीविका:

4.7.1 संबंधित पंचायतों को NTDNT समुदायों के लाभ के लिए मनरेगा को लागू करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। स्थायी पते की आवश्यकता को लचीला बनाया जाना चाहिए। बेघरों की आजीविका सुनिश्चित करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मनरेगा मजदूरी के वितरण के लिए बैंक खाता या डाकघर खाता खोलना अस्थायी निवास वाले लोगों या बेघर NTDNTे के लिए भी संभव बनाया जाना चाहिए, जिससे उनका वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।

4.7.2 NTDNT समुदायों के लिए स्व–रोज़गार को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM) के तहत प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

4.7.3 स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत NTDNT को पारंपरिक उद्यमी और विक्रेताओं के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, उन्हें देश में कहीं भी सामान बेचने की अनुमति होनी चाहिए। श्रम मंत्रालय से परिवारों के लिए एक विशेष लाइसेंस जारी किया जा सकता है जिसका उपयोग स्ट्रीट वेंडिंग (ग्रामीण और शहरी) के लिए किया जा सकता है, और राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा आयोजित मेले और प्रदर्शनी में अपने पारंपरिक उत्पादों को बेचने के लिए मुफ्त स्थान दिया जा सकता है।

4.7.4 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम को NTDNT जैसे वड्डर, पथरकटानी, लोधा आदि समुदायों को पारंपरिक निर्माण मज़दूर के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें एक पंजीकृत निर्माण मज़दूर के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए।

4.8 बैंकिंग सेवाएँ:

4.8.1 बैंकों और डाकघरों को हिदायत दी जानी चाहिए कि वे NTDNT समुदाय के सदस्यों के बैंक खाते खोलने के लिए सरल दिशानिर्देश विकसित करें, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके। बैंकों को NTDNT के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का उचित प्रतिशत निर्धारित करने की सलाह दी जानी चाहिए।

4.8.2 वित्तीय सेवा विभाग को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित NTDNT को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए पात्र कमजोर वर्गों की सूची में एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में जोड़ना चाहिए, जिससे उनका वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।

4.9 NTDNT समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करें

4.9.1 ललित कला अकादमी के माध्यम से NTDNT कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जादूगर, बाजीगर, नट, कोलाथी, बेदिया समुदायों की पारंपरिक कला और नृत्य प्रदर्शन को कलंक मुक्त किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। थिएटर ग्रुप की तर्ज पर नृत्य समूह को पर्याप्त वित्तपोषण के साथ बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

4.9.2 राज्य/केंद्र सरकार को हर साल राज्य और केंद्र स्तर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्रालयों द्वारा वित्त पोशित NTDNT सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने चाहिए। NT&DNT समुदायों की प्रदर्शन कलाओं, शिल्पों और प्रदर्शनों के सांस्कृतिक मेलों के आयोजन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

5. विमुक्त और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए विषेश आरक्षण

भारत में घुमंतू और विमुक्त जनजातियाँ (NTDNT) ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर जीवन बसर करने वाले और उपेक्षित समुदायों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो दशकों से सर्वांगी भेदभाव और बहिष्कार से पीड़ित हैं। उनके कल्याण और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सरकारी प्रयासों के बावजूद, NTDNT व्यापक रूप से भेदभाव के शिकार बने हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के अवसरों और सामाजिक न्याय तक पहुँच समेत रोजमर्रा की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं के लिहाज़ से उनका लगातार हाशिए पर बना रहना

जारी है। इन समुदायों द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियाँ और बाधाएँ, मौजूदा उपायों की अपर्याप्तता तथा अधिक लक्षित एवं प्रभावी हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। यह गंभीर स्थिति NTDNT की जरूरतों और अधिकारों को संबोधित करने के दृश्टिकोण के पुनर्मूल्यांकन की माँग करती है, जिसमें उन नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जो विशेष रूप से उनकी अनूठी परिस्थितियों और ऐतिहासिक अन्याय को पूरा करते हैं।

5.1 NTDNT समुदायों के लिए एक नई आरक्षण श्रेणी बनाई जाए: NTDNT जनजातियों की विशिष्ट जरूरतों और चुनौतियों की पहचान हेतु अन्य पिछड़े वर्गों से अलग एक नई श्रेणी बनाई जानी चाहिए। SC, ST और OBC श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले मौजूदा NTDNT की पहचान करने हेतु, उन्हें तब तक SC (DNT), ST (DNT) और OBC (DNT) में वर्गीकृत किया जाए, जब तक कि भारत के संविधान के तहत तीसरी अनुसूची नहीं बन जाती। इसके अलावा, विशेष रूप से कमजोर विमुक्त समुदायों के लिए उप आरक्षण होना चाहिए। इसका निर्णय गणना के आधार पर किया जाना चाहिए।

5.2 NTDNT के लिए 10 प्रतिशत कोटा बनाया जाए: सरकार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में NTDNT के लिए अलग से 10 प्रतिशत कोटा आवंटित करना चाहिए। यह उपाय उन्हें अवसरों तक पहुँच प्रदान करेगा और उनके और अन्य समुदायों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। NTDNT के लिए एक नई श्रेणी बनाना और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में उनके लिए अलग से 10 प्रतिशत कोटा प्रदान करना समय की माँग है। यह न केवल उनके उत्थान में मदद करेगा बल्कि देश में सामाजिक सद्भाव और समावेशिता को भी बढ़ावा देगा।

6. घुमंतू और विमुक्त समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु एक संस्थागत ढांचे का निर्माण:

NTDNT समुदाय सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और वंचित समुदायों में से एक हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच की कमी के साथ–साथ सामाजिक भेदभाव और कानूनी अन्याय सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में एक प्रमुख कारक इन समुदायों द्वारा झेली जाने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और मुद्दों को संबोधित करने के लिए समर्पित किसी भी संस्थागत तंत्र की पूर्ण अनुपस्थिति है। कल्याण और विकास के वर्तमान सामान्य दृष्टिकोण, उनकी विशिष्ट परिस्थितियों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, एक मजबूत संस्थागत ढाँचा स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो NTDNT समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिनिधित्व और संसाधन प्रदान कर सके, जिससे व्यापक सामाजिक ताने–बाने में उनका समावेश, कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

6.1 NTDNT समुदायों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाए:

राज्य और केंद्र स्तरों पर विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) और घुमंतू जनजातियों (एनटी) के विकास, कल्याण और संरक्षण के लिए समर्पित एक अलग विशेष मंत्रालय होना चाहिए। यह मंत्रालय इन समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को संबोधित करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उनके मुद्दों को उचित ध्यान और तमाम संसाधन मिल सकें जिनके वे हकदार हैं। इस तरह के मंत्रालय की स्थापना इन ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के उत्थान और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का काम करेगी, जिससे उन्हें अपनी सरोकारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच और उनकी प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र मिलेगा। सभी मानवाधिकार संस्थानों जैसे NHRC, NCW, SC और ST आयोग, NCPCR आदि में एक NTDNT सेल स्थापित किया जाना चाहिए।

6.2 केंद्र और राज्यों में NTDNT समुदायों के लिए एक स्थायी और वैधानिक आयोग बनाया जाए:

विमुक्त जनजातियों (DNT) और घुमंतू जनजातियों (NT) की जरूरतों और सरोकारों को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय और प्रत्येक राज्य में वैधानिक आयोग स्थापित किए जाने चाहिए। इस आयोग को घुमंतू चरवाहे मामलों के लिए समर्पित मंत्रालय और विभाग के साथ समन्वय में काम करना चाहिए। विभाग उन नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो चरवाहों के सामाजिक–आर्थिक विकास का समर्थन, उनके अधिकारों की रक्षा और देहाती संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करते हों।

6.3 सभी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में NTDNT समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए:

विमुक्त जनजातियों (DNT) और घुमंतू जनजातियों (NT) मामलों से संबंधित सभी निर्णय लेने वाली समितियों या आयोगों में NTDNT समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके दृष्टिकोण, जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान पर विचार सुनिश्चित करेगा। प्रतिनिधित्व चरवाहे नेताओं, समुदाय के प्रतिनिधियों, या चरवाहे मुद्दों की गहन समझ रखने वाले विशेषज्ञों की सीधी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

6.4 प्रत्येक राज्य को विमुक्त जनजातियों (DNT) और घुमंतू जनजातियों (NT) के लिए अलग–अलग कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए। ये बोर्ड विमुक्त जनजातियों (DNT) और घुमंतू जनजातियों (NT) के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कल्याण बोर्डों

को प्रयासों के समन्वय और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वैधानिक आयोग और अलग–अलग मंत्रालय और विभागों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

7. घुमंतू और विमुक्त समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण और उत्थान

विमुक्त जनजातियों (DNT) और घुमंतू समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और उत्थान महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन समुदायों के पास अद्वितीय पारंपरिक कौशल और ज्ञान है, फिर भी वे अक्सर हाशिए पर रहते आए हैं। स्थायी आजीविका के लिए बाजारों और अवसरों तक उनकी पहुँच बहुत कम है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद, इन समुदायों द्वारा उत्पादित शिल्प, डिजाइन और विपणन समर्थन के अभाव में व्यापक बाजारों तक पहुँचने में विफल रहते हैं। इन समुदायों के पारंपरिक कलाकार, प्रदर्शन कला में अपनी समृद्ध विरासत के साथ, अपनी प्रतिभा दिखाने और आजीविका कमाने के लिए मंच खोजने के लिए संघर्श करते पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वन वनस्पतियों के पारंपरिक ज्ञान वाले NTDNT को संरक्षण प्रयासों में पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप उनकी विशेषज्ञता का कम उपयोग हो पा रहा है। इसके अलावा, व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका विकल्पों और कौशल विकास के अवसरों की कमी समुदाय के कुछ सदस्यों को जीवित रहने के लिए अवैध गतिविधियों में धकेल देती है। NTDNT के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

7.1. शिल्प उत्पादकों के लिए डिज़ाइन और विपणन सहायताः सरकार को जानबूझकर घुमंतू और विमुक्त समुदायों के शिल्प को शामिल करना और बढ़ावा देना चाहिए। कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सरकारी एजेंसियों को NTDNT के लिए विशेष योजनाएँ तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उनके पारंपरिक कौशल को और निखारा जा सके और उन उत्पादों के निर्माण के लिए विस्तारित किया जा सके जिनकी बाजार में माँग है।

7.2. पारंपरिक कलाकारः सरकार को पर्यटन मंत्रालय के ज़रिए गायन, नृत्य, रंगमंच, संगीत वाद्ययंत्र बजाना, कठपुतली आदि जैसी प्रदर्शन कलाओं में लगे समुदायों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समुदाय के सदस्यों को जंगल के अंदर पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। .

7.3. वन–निर्भर NTDNT: वनों में वनस्पतियों और पौधों के जीवन पर NTDNT के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। इस ज्ञान का उपयोग सरकार द्वारा वन संरक्षण और लघु वन उपज के संग्रह के लिए भी किया जा सकता है।

7.4. पुनर्वासः समुदाय के युवा सदस्यों के लिए उपयुक्त कौशल विकास और प्रशिक्षण के साथ वैकल्पिक व्यवहार्य आजीविका विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अवैध शराब बनाने

जैसे अपराधों में मजबूर NTDNT के पुनर्वास के लिए एक विशेष कार्यक्रम पर विचार किया जाना चाहिए।

8. वन क्षेत्रों में घुमंतू और विमुक्त समुदायों का संरक्षण और पुनर्वास

वन क्षेत्रों में रहने वाली विमुक्त जनजातियों (DNT) और घुमंतू समुदायों को अपनी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाओं और आजीविका की समझ और मान्यता की कमी के कारण लंबे समय से हाशिए पर रहने, उत्पीड़न और विस्थापन का सामना करना पड़ा है। उनके जीवन के पारंपरिक तरीकों को अक्सर गलत समझा जाता है, जिससे वन अधिकारियों द्वारा उनका अनुचित उत्पीड़न होता है। खासकर, जब अवैध शिकार या विलुप्तप्राय जानवरों की मौत की घटनाएँ सामने आती हैं। सुदूर वन क्षेत्रों में काम करने के कारण इन समुदायों की महिलाएँ और लड़कियाँ विशेष रूप से यौन उत्पीड़न की शिकार बनती हैं। इसके अलावा, जंगलों से स्थानांतरित किए गए घुमंतू समुदायों को भूमि स्वामित्व की कमी और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत उनके अधिकारों की मान्यता के कारण अपनी आजीविका सुरक्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देहाती NTDNT, जो अपने जानवरों के लिए चराई और पानी तक पहुँच पर निर्भर हैं, वे वन संरक्षण या संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए अपनी भूमि से बेदखल होने पर अपनी आजीविका के लिए भी संघर्श करते हैं।

8.1 वन अधिकारियों को संवेदनशील बनानाः सरकार को वन अधिकारियों को विमुक्त जनजाति (DNT) समुदायों के अद्वितीय इतिहास, संस्कृति और आजीविका पैटर्न पर संवेदनशील बनाने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम लागू करना चाहिए। यह कार्यक्रम अनिवार्य होना चाहिए और इसमें ऐसे मॉड्यूल शामिल होने चाहिए जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक प्रथाओं, पारंपरिक आजीविका और NTDNT के सामने आने वाली चुनौतियों को कवर करते हों। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में इन समुदायों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए।

8.2 NTDNT को परेशान करने वाले वन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाईः जब भी किसी विलुप्तप्राय जानवर का शिकार किया जाता है या उसे मृत पाया जाता है, तो पूर्व शिकारी समुदायों को परेशान करने वाले वन अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे इन कमजोर समुदायों को निशाना बनाने और उनके उत्पीड़न को रोका जा सकेगा।

8.3 महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षाः सरकार को जंगलों के दूरदराज और अलग–थलग हिस्सों में काम करने वाली विमुक्त जनजातियों (DNT) की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी

चाहिए। इन समुदायों में महिलाओं और लड़कियों की गरिमा और भलाई को बनाए रखने के लिए ऐसे कदाचार के दोशी पाए जाने वाले वन रक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

8.4 विस्थापित घुमंतू समुदायों के लिए भूमि स्वामित्वः वनों से स्थानांतरित किए गए घुमंतू समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को लागू करते हुए उन्हें भूमि स्वामित्व दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें अपनी आजीविका सुरक्षित करने और अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

8.5 चरवाहे NTDNT के वन अधिकारों को मान्यताः चरवाहे NTDNT जिन्हें जंगलों के संरक्षण या संरक्षित क्षेत्रों और अभयारण्यों की स्थापना के लिए उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें अपनी आजीविका के लिए गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिकारियों और स्थानांतरित कृषक समुदायों के लिए प्रदान किए गए पुनर्वास के अलावा, देहाती NT पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उनके वन अधिकारों, जैसे चराई अधिकार और उनके जानवरों के लिए पानी से संबंधित अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए।

9. आश्रय और बुनियादी ढाँचा विकास कार्यक्रम

भारत में विमुक्त जनजातियों (DNT) और घुमंतू जनजातियों (NT) को पर्याप्त आवास और बुनियादी ढांचे तक पहुँच बनाने में ख़ासी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर अस्थायी या स्थायी बस्तियों में रहने वाले इन समुदायों के पास सुरक्षित आश्रय का अभाव होता है। प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लक्षित और समावेशी आवास नीति की अनुपस्थिति उनकी भेद्यता को और बढ़ा देती है। इसके अलावा, NTDNT की अनूठी आवास आवश्यकताओं को मौजूदा योजनाओं में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वे निरंतर हाशिए पर जीवन जीने को मजबूर हैं। इसके अतिरिक्त, घुमंतू मछली पकड़ने वाले समुदायों जैसे समुदायों को अपने पारंपरिक कार्य क्षेत्रों के पास पुनर्वास प्रावधानों की कमी के कारण विस्थापन और आजीविका चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी बस्तियों में सड़क, स्कूल, बिजली और पीने के पेयज़ल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी उनके सम्मानजनक जीवन जीने की क्षमता को और भी बाधित करती है।

9.1 राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणः सटीक आवास आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए NTDNT समुदायों की अस्थायी और स्थायी बस्तियों का गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इस सर्वेक्षण के नतीजे बेघर NTDNT के लिए उपयुक्त आश्रय कार्यक्रम शुरू करने का आधार बनने चाहिए।

9.2 समावेशी नीति डिजाइनः सरकार को विशेष रूप से उनकी अनूठी आवास चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतिगत पहल के माध्यम से प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) में NTDNT को शामिल करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9.3 सरकार को बेघर NTDNT की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, PMAY के भीतर समर्पित उप–योजनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।

9.4 पांच वर्ष से अधिक समय से तंबू में रहने वाले समुदायों के लिए निःशुल्क आवास की एक नई योजना अपनाई जानी चाहिए।

9.5 निःशुल्क या रियायती आवासः पात्र NTDNT परिवारों को चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क या रियायती आवास प्रदान किया जाना चाहिए। इससे NTDNT समुदायों की सुरक्षित आवास तक पहुँच सुनिश्चित होगी। विभिन्न आवास योजनाओं के तहत आवास तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए NTDNT समुदायों के लिए एक राष्ट्रीय आवास मिशन का गठन किया जाना चाहिए।

9.6 आवास योजना को NTDNT आजीविका आवश्यकताओं को समझना चाहिए। NTDNT की आजीविका और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवास में विविध मॉडल बनाए जाने चाहिए। जैसे गाड़िया लोहार को अपने आवास के आसपास और मुख्य सड़कों और गाँवों के करीब पर्याप्त जगह की आवश्यकता होगी ताकि उनके लोहा उत्पादों का विपणन आसानी से हो सके। यदि वे ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जो उनके संचालन के पारंपरिक स्थानों से दूर हैं, तो वे घरों में नहीं बसेंगे और बड़े पैमाने पर उन्हें त्याग देंगे।

9.7 निधि निर्धारित करनाः प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वर्तमान परिव्यय का एक अनुपात NTDNT के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें केंद्र सरकार के चल रहे आवास कार्यक्रमों के तहत प्राथमिकता प्रदान की जा सके। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि NTDNT समुदाय वित्तीय सहायता से आवास इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं।

9.8 घुमंतू मछली पकड़ने वाले समुदायों का पुनर्वासः बेघर घुमंतू मछली पकड़ने वाले समुदायों को बांधों और जलाशयों के जितना करीब संभव हो पुनर्वासित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपना पारंपरिक व्यवसाय जारी रख सकें। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनकी आजीविका बाधित न हो।

9.9 एकीकृत ढांचागत विकास कार्यक्रमः घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की मौजूदा बस्तियों में सड़क, स्कूल, बिजली, पेयजल और सामुदायिक केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने

के लिए एक एकीकृत ढांचागत विकास कार्यक्रम विशेष रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि NTDNT की बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच रहे और वह सम्मानजनक जीवन जी सकें।

10. पुलिस संवेदीकरण और प्रशिक्षण

विमुक्त जनजाति (DNT) समुदायों को ऐतिहासिक रूप से न केवल बड़े पैमाने पर समाज, बल्कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों से भी भेदभाव और हाशिये पर जाने के डर का सामना करना पड़ता रहा है। इससे इन समुदायों में अविश्वास और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है, जो मुख्यधारा के समाज में उनके एकीकरण में बाधा बन रही है। पुलिस, कानून और व्यवस्था के प्राथमिक प्रवर्तक के रूप में, हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, उन पूर्वाग्रहों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है जिन्हें कई पुलिस अधिकारियों में NTDNT समुदायों के प्रति पाया जाता है। ये पूर्वाग्रह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे कि अनुचित हिरासत, यातना और जबरन वसूली, जिससे ये समुदाय और भी अलग–थलग पड़ जाते हैं। इसके अलावा, NTDNT समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समझ की कमी से पुलिस और इन समुदायों के बीच अप्रभावी और कभी–कभी हानिकारक टकराव हो सकता है।

10.1 विशेष प्रशिक्षणः NTDNT समुदायों के प्रति बहुसंख्यक पुलिस अधिकारियों के पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए पुलिस विभागों में सभी अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए अनिवार्य विशेष प्रशिक्षण तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में जाति और सामुदायिक भेदभाव, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और NTDNT समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को समझने से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

10.2 संवेदीकरण कार्यशालाएँः पुलिस अधिकारियों को NTDNT समुदायों के साथ संवेदनशील और प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने हेतु राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में संवेदीकरण प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।

10.3 विकास और कल्याण कार्यक्रमों में संलग्नताः पुलिस अधिकारियों को उनकी आपराधिकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी कमजोरियों को समझने के तरीके के रूप में NTDNT समुदायों के लिए विकास और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगाया जाना चाहिए। इससे पुलिस और NTDNT समुदायों के बीच मजबूत संबंध बनाने में मदद मिलेगी जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

10.4 अनुकरणीय अनुशासनात्मक कार्रवाईः NTDNT समुदायों के सदस्यों को बिना किसी दोष सिद्धि के जेल में बंद करके, यातना देकर, रिश्वत वसूलकर आदि कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दृष्यमान और अनुकरणीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि भेदभाव और सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

10.5 महिलाओं के लिए विशेष कक्षः NTDNT समुदायों की महिलाओं को यौन उत्पीड़न के मामले में आगे आकर शिकायत करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए। पुलिस हिरासत में NTDNT समुदायों की महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस द्वारा सख्त प्रक्रियाओं (जैसे किशोर अदालतों में, एक महिला कांस्टेबल की उपस्थिति आदि) का पालन किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि NTDNT समुदायों की महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित हों और उन्हें वह समर्थन प्राप्त हो जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

10.6 जेल मैनुअल में बदलावः जबकि राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने जाति–आधारित श्रम को हटाने के लिए अपने जेल मैनुअल में संशोधन किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में ऐसा किया जाना चाहिए कि गैर–अधिसूचित समुदायों के सदस्यों के खिलाफ जेलों में जाति–आधारित भेदभाव न हो।